तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम जो ... की तामील
	वकालतनामा अपर/ प्रा० पत्र 07 नियम 11 CPC	
7/01/25	पुनः समय दी गई वास्ते आदेश दिनांक 11/2/25 को पेश हो SDM	
11/2/25	पत्रावली पेश हुई। वकालतनामा प्रार्थपत्र प्रा० पत्र 07 नियम 11 CPC पेश निवेदन किया गया कि वादी द्वारा आराजी खसरा नम्बर 317 रकबा 0.23 हे० वाके ग्राम नगला बेधड़िया पेश किया है विवादित आराजी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादी की ना तो खातेदारी दर्ज है और ना कब्जा है। कानून एक खातेदार स्वयं ही हुकम इस्तमरारी स्थायी का वाद ला सकता है इन वजहात से वाद मेनटेनेबिल नहीं है। उक्त खसरा नं० बाधा की है जो कृषि योग्य भूमि नहीं है जिस पर नाबालिग हो रही उक्त भूमि मौके पर खाली नहीं है एवं राजस्व रेकार्ड में 36 खातेदारों के नाम दर्ज है। लेकिन वादी ने सहखातेदारान को पक्षकार नहीं बनाया है जिसके कारण वाद खारिज योग्य है। जिस पर वादी अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रार्थना-पत्र 07 नियम 11 पेश कर किया गया कि आराजी ~~खसरा नम्बर~~ का हिस्सा 1/132 हिस्सा वादी की अन्य ~~सहखातेदार~~ द्वारा खरीद किया जा चुका है जिस पर वादी मौके पर काबिज है। विवादित आराजी खसरा नम्बर 317 के बटवारे का कोई प्रबन्ध वो सीमांकन नहीं है। इस मैटर पर आधार पर सीमांकन किया जाना है। 07 नियम 11 CPC के प्रावधान मामला पर लागू नहीं होते हैं इसलिये प्रतिवादी का प्रा० पत्र 07 नियम 11 CPC	

ख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
	इसी स्टेज पर खारिज किये जाने योग्य है। बहस मुताबिक पर मनन किया गया। पत्रावली प्रा०पत्र व जवाब प्रा०पत्र का अवलोकन किया गया। वादी प्रा०पत्र के बिन्दु-2,3,4 का जवाब सही तरीके से पेश नहीं कर पाये यह जाहिर नहीं वह धारा 188 राज० टी० एक्ट में केवल आवेदक ही दावा ला सकता है। अतः ~~प्रार्थी~~ प्रा०पत्र 07 आर 11 सीपीसी के तहत खण्ड (4) में दिये निर्देश के विपक्ष द्वारा आवेदक बाबत धारा 188 राज० का वाद न्यायालय में पेश कर सकता है जिसके आधार पर जारी का प्रार्थना-पत्र 07 आर 11 सीपीसी स्वीकार योग्य पाये जाने के कारण स्वीकार किया ~~जाता~~ हो जाता मूल वाद को इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली बैमल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर के बाद तकमील मुकिला ~~प्राप्त~~ रेकर्ड भण्डार हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	